

दिनांक- 09.12.17

खण्डपीठ-22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

परिवादी शाखा प्रबंधक सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुनील कुमार सहित अधि० श्री रवि मुदगल उप०।

आरोपी अनुपस्थित।

आज दिनांक को परिवादी द्वारा परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण राजीनामे के आधार पर समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है। आरोपी पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है। परिवादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। परिवादी द्वारा स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया गया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोक नीति के अनुरूप है। उभयपक्षों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं। अतः वाद विचार राजीनामा स्वीकार किया गया एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के आरोप से दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 11.12.17 निरस्त की गई।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार

भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क022 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0